2026/73

खारिज 7.2.2026

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

योगेश आदि बनाम कृष्ण आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 17 वर्ष 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
02.02. 2026	प्रार्थीगण यागेश आदि की तरफ से वकील श्री महिपाल वर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि रोही मौजा मालासर के ख.नं. 406/118 की 6.325 है. भूमि की अप्रार्थी सं. 1 रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 05.03.2026 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
5.3.2026	[stamp, partly illegible] पत्रावली ... दिनांक 30.4.2026 ... पेश हो [initials]	
7.4.2026	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मिसल पेशी पेश करते हुए पत्रावली को पेशी से [illegible] लिया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहते है। मौजूदा स्थिति में खारिज करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र मौजूदा स्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] जाकर बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	सुमित्रा देवी प.क. [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2026.04.29 12:58:12 IST
Reason: SelfAttested